।। जय गुरु नाना ।। ।। जय महावीर ।। ।। जय गुरु राम ।।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

प्रस्तावित

वीर सेवा समिति योजना

– : प्रधान कार्यालय : –

समता भवन, आचार्य श्री नानेश मार्ग, नोखा रोड़

गंगाशहर, बीकानेर–334401 (राज.)

फोन : 0151–3292177, 2270261

।। जय गुरु नाना ।। ।। जय महावीर ।। ।। जय गुरु राम ।।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड)

राम चमक रहे भानु समाना

वीर सेवा समिति

1. परिप्रेक्ष्य :

1.1 परमपूज्य आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलालजी म.सा. के पावन सानिध्य में साधुमार्गी जैन संघ ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की उत्कृष्ट आराधना में उत्तरोत्तर मोक्ष पथ की ओर गतिशील है। वीर सेवा समिति का मुख्य लक्ष्य है कि वीर परिवार की सेवा, सुश्रुषा में संघ एवं हम सहभागितारूपी दायित्व का निर्वहन करें। समिति का मुख्य दायित्व होगा कि वीर परिवार से सम्पर्क करें। उनके सामाजिक एवं व्यायहारिक दृष्टिकोण की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक विचार कर समाधान करें। साधुमार्गी संघ की वात्सल्यता से अभिभूत होकर वीर परिवार को गौरव की अनुभूति हो इस दिशा में प्रयासरत रहना इस समिति का प्रमुख दायित्व होगा।

1.2 वीर परिवार की सेवा, सुश्रुषा एवं उन्हें ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना में गतिशील।

1.3 समिति के माध्यम से वीर परिवार के सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलु का मूल्यांकन कर उसके समाधान हेतु निरन्तर प्रयासरत रहना।

1.4 श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ मानव कल्याण, समाजोत्थान, आध्यात्मिक विकास, संस्कार जागरण, जैन दर्शन प्रचार–प्रसार एवं जीव दया जैसे उदात्त उद्देश्यों एवं आदर्शों से उत्प्रेरित अनेक सेवा प्रकल्पों का संचालन करता आ रहा है। इसी श्रृंखला में एक विशिष्ट उपक्रम प्रस्तावित हुआ है – **वीर सेवा समिति।**

1.5 'वीर परिवार' संघ की आधार–शिला है। धन्य हैं वे वीर परिवार जहां 'वीर' जन्म लेते हैं और जीवनपर्यन्त सर्वप्रकार की हिंसा से विरत रहते हुए अपनी तप एवं आध्यात्म साधना से चतुर्विध संघ को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं।

1.6 वीर परिवार सेवा के सेवा–सहयोग की भावना रखना वस्तुतः स्वयं को गौरवान्वित करना है समाज के संघनिष्ठ प्रत्येक श्रावक–श्राविका एवं युवा वर्ग का दायित्व बनता है कि वो वीर परिवार के तप, त्याग एवं संयम यात्रा का स्वयं अहसास करें एवं उन परिवारों की सेवा, सहायता हेतु अपने आंतरिक भाव अभिव्यक्त करें।

1.7 वीर परिवार – आचार्य श्री के नेश्राय में जो स्त्री अथवा पुरूष दीक्षा ग्रहण करें, उसके सांसारिक अभिभावक तथा उस पर आश्रित अवलम्बित पारिवारिक सदस्य जो वर्तमान आचार्य श्री के प्रति पूर्ण श्रद्धानिष्ठ हों।

2. वीर सेवा वित्तीय सहायता योजना :

उपरोक्त योजना का क्रियान्वयन वीर परिवार के प्रति हमारी कृतज्ञता का ही प्रतीक है इस योजना के अन्तर्गत निम्न स्थितियों में समुचित प्रकार से पर्याप्त मात्रा में योजनाबद्ध रूप से सभी प्रकल्पों हेतु वीर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना हमारा समाज के प्रति दायित्व निर्वहन की आंशिक पहल की कहलायेगा– 1. रोजगार हेतु 2. शिक्षण/उच्च शिक्षण हेतु 3. दैनिक जीवन की विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 4. आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में अपेक्षित सहयोग हेतु।

वीर परिवार सेवा–सहयोग हेतु प्रारंभ में संघ निम्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहा है– 1. शिक्षण ऋण योजना 2. लघु उद्योग/व्यवसाय ऋण योजना 3. चिकित्सा एवं आरोग्य सेवा–सहायता योजना 4. परिजन बीमा/जीवन बीमा सहायता योजना।

2.1 यह योजना मात्र वीर परिवार के सदस्यों हेतु लागु होगी।

2.2 लघु एवं सूक्ष्म उद्योग/व्यवसाय हेतु इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे – किराणा, लेखन सामग्री विक्रेता, मेडीकल स्टोर्स, कम्प्यूटर कोचिंग क्लास, सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं, औषधालय प्रयोगशाला एवं उत्पादन संबंधी अन्य उपक्रम आदि।

2.3 विद्यालयी, महाविद्यालयी एवं उच्च शिक्षा हेतु वीर परिवार के बालक–बालिकाओं को शैक्षणिक ऋण(Educational Loan) भी उपलब्ध कराया जाएगा।

2.4 वित्तीय सहायता आवधिक ऋण के स्वरूप में प्रदेय होगी।

2.5 ऋण पर ब्याज दर शून्य (0) प्रतिशत होगी अर्थात् ऋण ब्याज रहित दिया जाएगा।

2.6 दिए गए ऋण हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका किसी भी प्रकार का प्रचार आदि भी नहीं होगा। प्रवजन शुल्क, अग्रीम शुल्क, आवेदन शुल्क आदि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2.7 ऋण की राशि नियत अवधि में निर्धारित किस्तों(Installments) में प्रतिदेय होगी।

2.8 विशेष परिस्थितियों में यदि ऋण की राशि अपर्याप्त प्रतीत हुई तो आवेदक ऋण में वृद्धि हेतु भी प्रस्ताव रख सकता है।

3. वीर सेवा निधि :

3.1 योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने तथा उसके आर्थिक आधार की संरचना सुदृढ़ हो इस हेतु 'वीर सेवा निधि' प्रस्तावित है। उपरोक्त निधि का वित्त–पोषण (Funding) संघ में उदारमना दानदाताओं के अनुदान से अपेक्षित हैं।

3.2 यह निधि 'वीर सेवा निधि'नाम से निर्दिष्ट होगी।

3.3 'वीर सेवा निधि' नाम से ही बैंक में पृथक से खाता खोला जाएगा जिसमें निधि को 50 प्र.श. राशि आवधिक जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जाएगी। 50 प्र.श. सब्याज चालु खाते मे जमा रहेगी। (Shri ABS Jain Sangh A/c Veer Sewa Nidhi)

4. वितीय सहायता योजना – व्यापक रूपरेखा

(अ) आवेदन विधि :–

1. यह योजना सामान्य ऋण योजना से सर्वथा अलग है। किसी भी प्रकार का ऋण लेने हेतु ऋण प्रदात्ता बैंक/संस्था के समक्ष आवेदन करना होता है किन्तु इस योजना के अन्तर्गत संघ अपना नैतिक दायित्व समझते हुए लाभार्थी को ऋण देना चाहता है और ऐसा करके संघ के सदस्य गौरव का अनुभव करते हैं। अतः इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल एवं शीघ्र क्रियान्वित होने वाली है।
2. चुंकि यहां सेवा भावना सर्वोपरि है अतः संघ की ओर से ही वीर परिवार के सदस्यों से सम्पर्क किया जाएगा तथा उन्हें इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी तथा उन्हें नम्रतापर्वूक अनुरोध किया जाएगा कि जिस भी कार्य के लिए संघ से सेवा सहयोग अपेक्षित महसुस करते हैं उसकी जानकारी देवें ताकि तद्नुरूप सेवा सहयोग कर वस्तुत संघ अपने दायित्व का ही निर्वहन करेगा और इसमें संघ को खुशी ही होगी।
3. वीर परिवार के लाभार्थी सदस्यों से इस योजनाओं का लाभ उठाने का विन्रमतापूर्वक अनुरोध किया जाएगा ताकि हम अनुग्रहित हो सके।
4. इस योजना का लाभ वीर परिवार के सभी सदस्यों को उपलब्ध होगा। (उपरोक्त परिच्छेद 1.7 का अवलोकन करें।)
5. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय ऋण/सहायता सुपात्र आवेदकों को ही देय होगी।
6. संघ का प्रतिनिधि वीर परिवार से एक आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट–1) पर यथोचित डाटा प्राप्त करेगा तथा उनकी आवश्यकताओं पर उनसे विचार–विमर्श करेगा एवं आवश्यकताओं की जानकारी सिर्फ संघ नेतृत्व एवं इस योजना के संयोजक तक ही पहुंचाएगा। ऋण स्वीकृति एवं ऋण वापसी की समस्त जानकारी अन्य किसी को नहीं दी जाएगी।

(ब) वीर सेवा संचालन समिति :

1. इस योजना के अन्तर्गत पांच सदस्यीय **'वीर सेवा समिति'** गठित की जाएगी जिसकी सदस्यता का संयोजन निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :

कुल सदस्य – 6 : पदेन सदस्य (3)– राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रवृत्ति संयोजक।
मनोनीत सदस्य (3)– राष्ट्रीय अध्यक्षजी द्वारा मनोनीत वीर सेवा समिति के सदस्यों में से।

2. **समिति सदस्य की पात्रता :**

1. परम पूज्य आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलालजी म.सा. के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति।
2. श्री अ.भा.सा. जैन संघ का आजीवन सदस्य।

समिति की सदस्यता के प्रकार 1. वीर सेवा संदीप 2. वीर सेवा दीप 3. वीर सेवा सहयोग

1. **वीर सेवा संदीप :**

(अ) – जो सदस्य एकमुश्त अथवा 12 माह के अन्तर्गत 51 लाख रूपये देवें अथवा 2 किश्तों में (25 लाख प्रति किश्त) 2 वर्षों के अन्तर्गत प्रदान करें।
(ब) – दानदाता परिवार का एक बार परिचय श्रमणोपासक में प्रकाशित होगा।
(स) – संघ के अधिवेशन में विशेष आमंत्रण एवं समारोह में बैठने हेतु गौरवमयी स्थान।

2. **वीरसेवा दीप :**

(अ) जो सदस्य एक मुश्त 21 लाख रुपये देवें अथवा 2 किश्तों में (10,50,000/– प्रति किश्त) प्रदान करें।
(ब) दानदाता परिवार का एक बार परिचय श्रमणोपासक में प्रकाशित होगा।
(स) संघ के अधिवेशन में विशेष आमंत्रण एवं समारोह में बैठने हेतु गौरवमयी स्थान।

3. **वीर सेवा सहयोग :**

(अ) जो सदस्य एक मुश्त 5 लाख रुपये देवें अथवा 2 किश्तों में (2,50,000/– प्रति किश्त) प्रदान करें।
(ब) दानदाता परिवार को एक बार परिचय श्रमणोपासक में प्रकाशित होगा।
(स) संघ के अधिवेशन में विशेष आमंत्रण एवं समारोह में बैठने हेतु गौरवमयी स्थान।

संचालन प्रक्रिया : इस समिति की कार्यप्रणाली श्री अ.भा.सा.जैन संघ के अन्तर्गत होगी। यह संघ की अभिनव प्रवृत्ति के रूप में सदैव स्थायी रहेगी। इसका प्रशासनिक कार्य संघ के केन्द्रीय कार्यालय में सम्पन होगा।

3. योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय कार्यालय में तत्सम्बंधी कार्य उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचारी अथवा टीम को सौंपा जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त, अंशकालिक, पूर्णकालिक सवैतिक कर्मचारी की भी नियुक्ति की जा सकती है।
4. ऋण प्रदत्त करने का निर्णय तथा ऋण की राशि निर्धारित करने का विवेकाधिकार केवल समिति का होगा।
5. अधिकतम रुपये दस लाख के ऋण की संस्वीकृति हेतु ही समिति सक्षम प्राधिकारी होगी।
6. समिति को लिखित रूप में अपना अनुमोदन/संस्वीकृति अंकित करना होगा। तत्पश्चात् ही ऋण राशि का वितरण किया जाएगा।
7. प्रत्येक अंचल में एक ऋण पर्यवेक्षक (Loan supervisor) निर्दिष्ट होगा (अर्थात् कुल 12 ऋण पर्यवेक्षक) जो संघ सदस्यों में से ही चयनित किया जाएगा। ऐसे सदस्य अवैतनिक सेवा देने हेतु तत्पर होंगे। पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक 6 माह के अन्तराल में एक रिपोर्ट (निर्धारित प्रारूप में, संलग्न परिशिष्ट 8 के अनुसार) संचालक मण्डल को भी भेजी जाएगी।

(स) आवेदन का मूल्यांकन :

1. वितीय डेटा की प्राप्ति व आवेदक से चर्चा/विमर्श के पश्चात् ऋण प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य संचालन समिति द्वारा नामांकित व्यक्ति को सौंपा जाएगा। सामान्यतः वित्त या लेखा विधि में अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अथवा भूतपूर्व बैंकर को यह कार्य दिया जा सकता है। उपरोक्त प्रतिनिधि को भी यह दायित्व दिया जा सकता है।

2. ऋण राशि के यथोचित आंकलन हेतु यदि आवश्यक हो तो नामांकित व्यक्ति अन्य स्त्रोतों से जांच/विमर्श कर सकता है।
3. बाह्य जांच एवं पूछताछ समुचित रीति से गोपनीयता व जिम्मेदारी के साथ संपादित करना परमावश्यक होगा।
4. तत्पश्चात् वह ऋण प्रस्ताव अपने प्रतिवेदन सहित उपरोक्त समिति के सम्मुख प्रस्तु करेगा।

(द) संस्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया :

1. आवेदन/ऋण प्रस्ताव पर चर्चा/निर्णय हेतु समिति की बैठक का आयोजन अनिवार्य नहीं है। संचालन (Circulation) द्वारा, ई–मेल के माध्यम से प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है।
2. ऋण प्रस्ताव के अवलोकन के पश्चात् समिति सदस्य ई–मेल द्वारा अपनी संस्वीकृति/अस्वीकृति– टिप्पणी सहित जहां उपयुक्त हो – सूचित कर सकता है।
3. ई–मेल की एक प्रति संघ के केन्द्रीय कार्यालय, बीकानेर को भी प्रेषित की जाएगी।
4. समिति सदस्य द्वारा यह कार्य ऋण प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के अंतर्गत संपादित होना अपेक्षित है।
5. यदि किसी सदस्य ने कोई मुद्दा/बिन्दु अंकित किया हो तो उसका स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्ताव को पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. सभी सदस्यों के अनुमोदन/संस्वीकृति के पश्चात् ही ऋण राशि का वितरण हो सकेगा।
7. वितरण 'वीर सेवा निधि' के अकाउण्ट से चेक द्वारा बीकानेर कार्यालय, आवेदक को उपलब्ध कराएगा।
8. बीकानेर कार्यालय के रजिस्टर में ऋण–संबंधी आलेख व प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी।

(य) अनुवर्ती कार्रवाई/निगरानी/नियंत्रण :

1. ऋणी से संपर्क बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि उसे अपने व्यवसाय में सफल, सुचारू संचालन हेतु यथोचित परामर्श, निर्देश, जानकारी व ऋण–राशि में वृद्धि (जहां उपयुक्त हो) दी जा सके।
2. इस हेतु अंचल में ऋण पर्यवेक्षक (Loan supervisor) सक्रिय रहेगा।
3. ऋण पर्यवेक्षक का दायित्व होगा कि समय–समय पर ऋणी से संपर्क करें।
4. ऋणी का भी यह दायित्व होगा कि वह मासिक/त्रेमासिक रिपोर्ट द्वारा, जैसा भी अनुबद्ध होगा, समिति को अपने व्यवसाय की प्रगति से अवगत कराए।

(र) ऋण प्रत्यावर्त/वसूली :

1. ऋणी से यह अपेक्षित होगा कि वह ऋण की किस्त चेक द्वारा नियत अवधि में बीकानेर कार्यालय को प्रेषित करें।
2. चेक 'वीर सेवा निधि' के नाम से ही होगा।
3. किस्त यदि निर्धारित समय पर अदा न हो तो ऋणी को ऋण पर्यवेक्षक द्वारा स्मरण पत्र भेजा जाएगा।
4. यदि किस्त तीन माह से अधिक अतिदेय हो तो ऋण पर्यवेक्षक यह ऋण शेष परिस्थिति से समिति को सूचित करेगा।

उपरोक्त प्रस्तावित योजना के प्रपत्र संलग्न है :–

परिशिष्ट संख्या	**विवरण**
1.	वीर परिवार पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रपत्र
2.	लघु उद्योग/व्यवसाय ऋण हेतु प्रपत्र
3.	शैक्षणिक ऋण हेतु वीर सेवा समिति प्रपत्र
4.	बीमा संबंधी पत्र
5.	(अ) बीमा सुरक्षा सुविधाएं
6.	चिकित्सा संबंधी पत्र
7.	ऋण शर्त संबंधी पत्र
8.	ऋण स्वीकृति पत्र
9.	पर्यवेक्षक की रिपोर्ट

वीर सेवा समिति
वीर परिवार पारिवारिक पृष्ठभूमि

1. पारिवारिक सदस्यों का परिचय :

क्र.सं	नाम	आयु	व्यवसाय	ईमेल	मोबाईल नं.
1					
2					
3					
4					
5					

2. निवास का पता : .....

.....

3. परिवार से दीक्षा ग्रहण :

क्र.सं	संत/सतियांजी म.सा. का नाम	पूर्व नाम	पूर्व संबंध (परिवार के साथ)
1			
2			
3			
4			

4. पारिवारिक आय (मासिक) यदि जानकारी प्राप्त न हो तो अनुमानित : .....

5. पारिवारिक व्यय (मासिक) यदि जानकारी प्राप्त न हो तो अनुमानित : .....

6. सेवा/सहायता की संभावित आवश्यकता : .....

क्र.	**विवरण**	**कितने सदस्य लाभान्वित हो सकते हैं**
(1)	व्यवसाय हेतु	.....
(2)	उद्योग हेतु	.....
(3)	किसी नए उपक्रम/संव्यवसाय हेतु	.....
(4)	शिक्षण हेतु	.....
(5)	आरोग्य/चिकित्सा संबंधी	.....
(6)	बीमा प्रीमियम भुगतान	.....

7. क्या वीर परिवार ने योजना के अन्तर्गत सेवा/सहायता स्वीकारी है ? .....

यदि नहीं तो क्यों ? .....

8. वीर सेवा समिति हेतु सुझाव अथवा योजनाओं पर टिप्पणी : .....

.....

9. वर्तमान में संघ की प्रवृत्तियों में सहभागिता

सदस्यता

अ. संघ सदस्यता	( )	ब. समता युवा संघ	( )	स. महिला समिति	( )
द. श्रमणोपासक	( )	य. सत्साहित्य	( )	र. दानपेटी	( )
ल. पत्राचार पाठ्यक्रम	( )	व. स्वाध्यायी सेवा	( )		

10. संकलक का मंतव्य : .....

स्थल :

दिनांक : **हस्ताक्षर**

लघु उद्योग/व्यवसाय ऋण हेतु प्रपत्र

स्थानः .....

दिनांकः .....

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. उपक्रम का नाम : .....
4. उपक्रम स्थल का पता : .....
5. आवेदक का स्थायी पता : .....
6. टेलीफोन नम्बर : ..... मोबाइल नं. .....
7. ई–मेल : .....
8. पेन कार्ड संख्या : .....
9. उपक्रम स्थापन की तिथि : .....
10. रचनाः वैयक्तिक/साझेदारी : .....
11. स्वत्वधारी/साझेदारी का नाम तथा अन्य विवरण :

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पिता/पति का नाम
अ.			
ब.			

क्र.सं.	पेन संख्या	निवास पता	टेलीफोन न.	संबद्ध कार्य में अनुभव (वर्ष)
अ.				
ब.				

12. क्या किसी बैंक से ऋण लिया है ? यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दीजिए –
    बैंक का नाम : .....
    ऋण का प्रकार : .....

ऋण की राशि : .....

13. योजना के अन्तर्गत ऋण (प्रस्तावित) :

(अ) व्यवसाय संचालन हेतु :

1. **राशि: .....**
2. **प्रयोजन : .....**
3. **अवधि : .....**

(ब) तंत्र/साधन क्रय करने हेतु :

1. **साधन का प्रकार: .....**
2. **उद्देश्य: .....**
3. **विक्रेता का नाम : .....**
4. **कुल लागत : .....**
5. **आवेदक का योगदान: .....**
6. **अपेक्षित ऋण: .....**

14. पूर्व निष्पादन:

क्रं.	विवरण	गत वर्ष 1 (रु)	गत वर्ष 1 (रु)	वर्तमान वर्ष (आकलन)

15. सांवधानिक अनुपालन की स्थिति : .....

(अ) Shops & Esteblishments Act अन्तर्गत पंजीकरण : .....

(ब) अन्य पंजीकरण : .....

(स) अन्य लाइसेंस : .....

(द) क्या अद्युनातन (स्मजमेज) विक्रय कर रिटर्न भरा है ? .....

(य) क्या आयकर रिटर्न भरा है ? .....

(र) अन्य सांविधिक अनुपालन : .....

(ल) क्या अंकेक्षित बैलेंस शीट है ? .....

दिनांक: **आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर**

.....

प्रख्यापत

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी/डाटा तथ्यपूर्ण व सही है।

स्थल : **.....**

दिनांक : **आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर**

श्री अ.भा.सा.जैन संघ, बीकानेर
शैक्षणिक ऋण हेतु वीर सेवा समिति प्रपत्र

स्थानः .....

दिनांक : .....

विद्यार्थी	अभिभावक

1. विद्यार्थी का नामः .....
2. (अ) अभिभावक का नाम : .....
   (ब) अभिभावक से संबंध : .....
3. जन्म तिथि/आयुः .....
4. स्थायी पताः .....
   .....
   वर्तमान/पत्राचार हेतु पता (यदि स्थायी पते से भिन्न हो तो) .....
   .....
5. टेलीफोन नम्बर : .....मोबाइल नम्बर : .....
6. ई-मेल : .....
7. पेन कार्ड संख्या : .....
8. शैक्षणिक योग्यता : .....
9. अभिभावक से संबद्ध जानकारी : .....
   (अ) मासिक आय : .....
   (ब) नियोजक का नाम/व्यवसाय का विवरण : .....
   (स) कर्मचारी (अभिभावक) का पद : .....
   (द) कितने वर्षों से नौकरी/व्यवसाय में रत हैं ? .....
   (स) सेवानिवृत्ति की तिथि : .....
10. कोर्स/अध्ययन/पाठ्यक्रम का विस्तार :
    (अ) कोर्स का नाम : .....
    (ब) संस्था/युनिवर्सिटी का नाम : .....
    (स) कोर्स संस्था को क्यों चयनित किया ? .....
    (द) कोर्स की अवधि : .....
    (य) कोर्स के प्रथम सत्र का प्रारंभ (माह/वर्ष) : .....
    (र) कोर्स पूर्ण करने पर सेवा योजना की संभावना/अनुमानित मासिक आय : .....
11. शिक्षण का अनुमानित परिव्यय (वार्षिक) :
    (अ) ट्यूशन फीस : .....
    (ब) पुस्तक, लेखन सामग्री, उपकरण इत्यादि : .....
    (स) छात्रावास का खर्च : .....
    (द) परीक्षा शुल्क : .....
    (य) बीमा प्रीमियम जहां लागू : .....
    (र) अन्य व्यय : .....
    कुल लागत : .....

12. आवश्यक ऋण राशि : .....

दिनांक : आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रख्यापन

हम एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि उपरोक्त दिए गए डाटा/जानकारी/विवरण सही, यथार्थ व सम्पूर्ण हैं। हमें सहायता योजना सभी निबंधन व शर्तें स्वीकार्य हैं।

लाभार्थी विद्यार्थी के हस्ताक्षर	अभिभावक के हस्ताक्षर
स्थल:	स्थल:
दिनांक:	दिनांक:

आवश्यक दस्तावेज की सूची

अर्हकारी

1. शालेय/स्नातक परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की फोटो प्रति
2. शैक्षणिक संस्था (जहां प्रवेश प्राप्त किया है) की विवरण पुस्तिका

   अथवा

   अन्य सूचना पत्र
3. प्रवेश प्राप्ति का प्रमाण
4. शैक्षणिक व्यय का ब्यौरा
5. पासपोर्ट साइज फोटो (विद्यार्थी व अभिभावक दोनों का)

।। जय गुरु नाना ।। ।। जय महावीर ।। ।। जय गुरु राम ।।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड)

राम चमक रहे भानु समाना

वीर सेवा समिति
बीमा योजना का लाभ उठाने हेतु
अनुरोध-पत्र

महोदयजी,

सादर जय जिनेन्द्र। जय गुरु राम।

संदर्भ : बीमा योजना से संबद्ध सेवाएं।

विनम्र निवेदन हैं कि अनेक बीमा कंपनियां आजकल विभिन्न प्रकार के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सेवाओं तथा योजनाओं की एक विस्तृत श्रेणी प्रस्तावित करती हैं। संलग्न सूची में कुछ योजनाओं का उल्लेख किया गया है। यद्यपि भिन्न-भिन्न बीमा कंपनियों की विविध योजनाएं एवं तदनुसार पुनर्भुगतान की दर अर्थात् प्रीमियम भी भिन्न-भिन्न हैं, हमने कुछ कंपनियों/प्रतिनिधियों से चर्चा कर लाभप्रद, मितव्ययी, उचित दर का निर्धारण किया हैं जिसके अनेक जोखिमों की सुरक्षा (Risk Cover) किफायती लागत में संभव हो सके।

आपसे सविनय अनुरोध है कि वीर सेवा समिति बीमा योजना के अन्तर्गत हमें सेवा का अवसर दें। आपकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्दिष्ट प्रतिनिधि आपसे भेंट करेगा। बीमा शुल्क समिति द्वारा देय होगा।

सधन्यवाद, सदिच्छा सहित।

आपका शुभचिंतक

संयोजक-वीर सेवा समिति

परिशिष्ट-4 (अ)

वीर सेवा समिति
बीमा सुरक्षा सुविधाएं

क्र.स	**जोखिम**
1.	जीवन सुरक्षा/अकाल मृत्यु (Unitimely Death)
2.	दुर्घटना (Accident)
3.	स्थायी विकलांगता (Permanent Disability)
4.	शरीर को निर्बल करने वाली व्याधि/क्षति (Debilitating illness or Injury)
5.	रूग्णालय संबंधी व्यय भर्ती के पूर्व/पश्चात् खर्च समेत (Hospitalization Cost, Including Pre/Post Hospitalization Expences)
6.	सेवा निवृत्ति योजना (Pension Plan)

।। जय गुरु नाना ।।　　।। जय महावीर ।।　　।। जय गुरु राम ।।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड)

राम चमक रहे भानु समाना

वीर सेवा समिति

चिकित्सा व आरोग्य सेवा का लाभ उठाने हेतु प्रस्ताव

मदोहयजी,

सादर जय जिनेन्द्र। जय गुरु राम।

संदर्भ : वीर परिवार पारिवारिक पृष्ठभूमि (Profile)

आशा है आप शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ कर रहे होंगे। आपके कुशल मंगल तथा दीर्घायु के लिए समिति की ओर से अनेक शुभकामनाएं।

आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि श्री समता जन कल्याण प्रन्यास के अन्तर्गत रुपये .... की राशि आपके चिकित्सार्थ अनुमोदित/संस्वीकृत हुई है।

आपसे अनुरोध है कि चिकित्सा संबंधी कागजात तथा अन्य प्रासांगिक ब्यौरा जैसे कि अस्पताल का विवरण, डॉक्टर/शल्य चिकित्सक का नाम, रोग का प्रकार इत्यादि से हमें अवगत करायें ताकि निर्धारित राशि का यथोचित भुगतान किया जा सके।

सधन्यवाद, सदिच्छा सहित

आपका शुभचिंतक

संयोजक-वीर सेवा समिति

परिशिष्ट–6

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

वीर सेवा समिति - ऋण शर्त संबंधी पत्र

महोदयजी,

सादर जय जिनेन्द्र। जय गुरु राम।

संदर्भ : 1. वीर परिवार पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रपत्र।

2. ऋण प्रदान करने हेतु आपका दिनांक .....का आवेदन।

आपके कुशल मंगल तथा दीर्घायु के लिए समिति की ओर से अनेक शुभकामनाएं। सहर्ष सूचित करते हैं कि आपका ऋण प्रस्ताव संस्वीकृत हुआ है। तत्संबद्ध निबंधन तथा शर्ते निम्न प्रकार से है।

(1) ऋण की राशि : .....

(2) ऋण का प्रयोजन : .....

(3) ऋण का स्वरूप : .....

(4) ब्याज की दर : .....

(5) संवितरण : एक मुश्त अथवा किश्तों में, अधिमानत विक्रेता/प्रदायक/शैक्षणिक संस्था (जैसा भी लागु हो) को प्रत्यक्ष भुगतान के स्वरूप में।

नोटः ऋण राशि आवेदन–कर्जदार को भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

(6) ऋण राशि कहां से जारी होगी : केन्द्रीय कार्यालय, बीकानेर (चैक द्वारा)

(7) ऋण चुकौती : .....अवधि में रुपया ..... की मासिक किश्तों में।

2. अन्य शर्ते :

(1) कृपया ध्यान दें कि यह ऋण आपको केवल .....हेतु प्रदत्त किया जा रहा है। ऋण राशि का अथवा उसके अंश का किसी भी अन्य कार्य हेतु उपयोग/व्यपवर्तन ऋण की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।

(2) यह अपेक्षित होगा कि आप अपना व्यवसाय सावधानी से, विवेकपूर्वक संचालित करें।

(3) साविधिक देय राशि (Statutory Dues) का भुगतान यथासमय करें।

(4) माल (Stock) की पुनः पूर्ति यथासमय करें ताकि व्यवसाय को क्षति न पहुंचे।

(5) लेखापत्र/पुस्तक, माल पंजिका, लेनदेन का रिकार्ड इत्यादि, लेखांकन के सिद्धान्तों के अनुरूप हो।

(6) यदि हमारा प्रतिनिधी आपके कार्य स्थल पर आये तो उन्हें सभी सूचनाएं प्रदान करें।

(7) नियम अवधि में अपने व्यवसाय का विवरण देते हुए समिति को अपने व्यवसाय की प्रगति से अवगत करायें।

3. कृपया उपरोक्त निबन्धनों एवं शर्तों से सहमति तथा स्वीकृति के उपलक्ष्य में इस प्रपत्र की प्रतिलिपी पर हस्ताक्षर करें एवं संलग्न परिशिष्ट 7 (स्वीकृति पत्र) भी हस्ताक्षरित करें।

आपके उपक्रम की सफलता हेतु शुभेच्छा।

सधन्यवाद, सदिच्छा सहित।

आपका शुभचिंतक

संयोजक–वीर सेवा समिति

परिशिष्ट –7

वीर सेवा समिति

आवेदनकर्ता द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र

महोदयजी,

सादर जय जिनेन्द्र। जय गुरु राम।

संदर्भः 1. रुपये .....की ऋण राशि हेतु मेरा दिनांक .....का आवेदन।

2. दिनांक ..... का आपका रुपया ..... की ऋण राशि प्रदान करने हेतु।

अनुमोदन पत्र

उपरोक्त ऋण मैं साभार स्वीकार करता हूं इस संदर्भित सभी शर्तें मुझे मान्य एवं स्वीकार्य हैं। ऋण की वापसी मैं अुनबद्ध किश्तों में नियमावली से करने की प्रतिबद्धता एतद् द्वारा व्यक्त करता हूं।

सधन्यवाद

आपका

आवेदक नाम एवं हस्ताक्षर

स्थल :

दिनांक :

परिशिष्ट–8

ऋण पर्यवेक्षक (Loan Supervisor) का प्रतिवेदन

(प्रति 6 माह)

1. **ऋणी इकाई का नाम :** .....
2. **स्वत्वधारी/सहभागी :** .....
3. **व्यवसाय/व्यापार का प्रकार :** .....
4. **(अ) ऋण राशि :** .....
5. **(ब) संवितरण राशि :** .....
6. **(अ) पर्यवेक्षक की भेंट/तिथि :** .....
7. **(ब) निरीक्षण की कालावधि (** Period Covered **) :** .....
8. **पर्यवेक्षक का मंतव्य**

   (अ) माल/भण्डार टिप्पणी : .....

   (ब) व्ययसाय/आवर्त पर टिप्पणी : .....

   (स) लेखा पुस्तकों/वाउचरों पर टिप्पणी : .....

   (द) क्या साविधिक देय राशि का भुगतान समय पर हुआ है ?.....

   (य) क्या विधिक देनदारों से वसुली समय पर हो रही है ?.....

   (र) कर्जदार/ग्राहकों से प्रतिपुष्टि (Feedback **) :** .....

   (ल) अन्य टिप्पणियां : .....

दिनांकः **नाम एवं हस्ताक्षर**

स्थल : **ऋण पर्यवेक्षक**